यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय**, **सचिव**, **उत्तराखंड लोक सेवा आयोग**, **हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, **सचिव**, **उत्तराखंड लोक सेवा आयोग**, **हरिद्वार** 09/2016 से 04/2018 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री ललित थपलियाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री पवन कोठारी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री रवीन्द्र जयंत, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 21.05.2018 से 29.05.2018 तक श्री आर.एस.नेगी-1, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग-प्रथम

1. परिचयात्मक -इस कार्यालय की विगत लेखापरीक्षा श्री टी.एस. नेगी**,** सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री मनोज कुमार पाल**,** लेखापरीक्षक द्वारा दिनाँक 21.09.2016 से 29.09.2016 तक श्री पुष्कर**,** वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी थी**,** जिसमे माह 15/09 से 16/08 तक के अभिलेखों की जांच की गयी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 09/2016 से 04/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र- समस्त उत्तराखण्ड

(ii)(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः-

(रू लाख में)

	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य(+)	बचत(-)
	स्थापना	गैरस्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	-	-	630	550.85	660	595.70		143.45
2016-17	-	-	768.82	571.96	1258.01	959.70		495.17
2017-18	-	-	766.54	677.43	1592.01	759.2		921.92
2018-19 (अप्रैल 2018 तक)	-	-	1060.00	84.27	1818.01	42.01		-

(ब)Autonomous Bodies विगत तीन वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थितिः **निरंक**।

(स)केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः- **शून्य**

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुये इकाई "बी" श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

अध्यक्ष
सदस्य
सचिव
परीक्षा नियंत्रक
अपर सचिव विधि
वित्त नियंत्रक

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय, सचिव, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार** की लेखापरीक्षा में लेन-देन-कम-अनुपालन को आच्दादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय, सचिव, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार** की लेखापरीखा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है। माह 01/2017, 07/2017 (व्यय), 03/2017, 08/2017 (प्राप्ति) को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट-1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसारम सम्पादित की गयी।

भाग-II'अ'

प्रस्तर 1 : भवन निर्माण में अनुचित (unjustified) लागत वृद्धि ₹ 11.02 करोड़।

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को आयोग के परिसर में परीक्षा भवन के निर्माण कार्य हेतु गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा गठित आगणन की लागत ₹ 822.60 लाख के सापेक्ष ₹ 768.13 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गयी (मार्च, 2009)। परन्तु आयोग द्वारा निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग को नामित किया गया (मार्च, 2009) एवं कार्य एम.ओ.यू. गठित किए बिना आवंटित किया गया। कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा आयोग को भविष्य में परीक्षार्थियों की बढ़ती संख्या को दृष्टिगत रखते हुए पुनरीक्षित आगणन स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया (दिसंबर, 2010) जिसे आयोग द्वारा शासन को प्रेषित किया गया (जनवरी, 2011)। शासन द्वारा लोक निर्माण द्वारा गठित पुनिरीक्षित आगणन ₹ 2478.75 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी (दिसंबर, 2011)।

आयोग के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा गठित मूल (original) आगणन में चार मंज़िला भवन (भूतल+3) का प्रावधान था। भवन के प्रत्येक तल के लिए 1500 sqm कुर्सी क्षेत्रफल (plinth area) का प्रावधान करके डी.एस.आर. (Delhi schedule of rate, दिनांक 01-01-2008 से लागू) लगाया गया, जिसमें अन्य मदों को छोड़कर परीक्षा भवन की लागत ₹ 575.94 लाख थी। आयोग द्वारा मूल आगणन की स्वीकृत राशि ₹ 768.13 लाख मार्च 2009 में ही कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के साथ एम.ओ.यू. गठित करने हेतु लिखा गया था। इस कार्य को पूर्ण करने हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा समय पर निविदा आमंत्रित की गयी थी (अक्तूबर 2009) एवं निर्माण कार्य दिनाँक 27-11-2009 को प्रारंभ हो गया था। साथ ही अभिलेखों में यह भी देखा गया कि इस कार्य का शिलान्यास कार्यक्रम नवम्बर 2009 में किया गयाएवं आयोग के निरीक्षण के अनुसार निर्माण कार्य धीमी गति से किया जा रहा था (जून 2011)। इस घटनाक्रम के पश्चात उत्तराखंड शासन में कार्मिक अनुभाग में अपर सचिव (Additional Secretary) की अध्यक्षता में आहूत बैठक (दिनाँक 15-7-2011) में लो. नि. वि. के परीक्षा भवन के निर्माण में कुर्सी क्षेत्रफल बढ़ाने एवं मूल आगणन पुनरीक्षित करने के सुझाव पर सहमति दी गयी, तत्पश्चात लोक निर्माण विभाग द्वारा पुनरीक्षित आगणन आयोग को प्रेषित किया गया (दिसंबर 2010), जिसकी स्वीकृति शासन से दिसंबर 2011 में प्राप्त हुई। अभिलेखों कि जांच में यह भी पाया गया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा गठित संशोधित (revised) आगणन में पाँच मंज़िला भवन (भूतल+4) के प्रत्येक तल के लिए 2274 sqm कुर्सी क्षेत्रफल का प्रावधान रखा गया। संशोधित आगणन में अन्य मदों को छोड़ने पर परीक्षा भवन की लागत ₹ 16.78 करोड़ लगाई गयी है। अतः भवन का कुर्सी क्षेत्रफल 5370 sqm (11370-6000) बढ़ने पर लागत वृद्धि ₹ 11.02 करोड़ (16.78-5.76) की गयी।

उपरोक्त आपत्ति इंगित करने पर आयोग द्वारा बताया गया कि लो. नि.वि. सरकारी विभाग होने के कारण एम.ओ.यू. कराने की आवश्यकता नहीं थी, शासन द्वारा एक करोड़ से अधिक के निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग से ही कराने के कारण लोक निर्माण विभाग को कार्यदायी संस्था नियुक्त किया गया है, एवं पूर्व मे जो भूमि शासन द्वारा उपलब्ध कराई गयी उस पर लोक सेवा आयोग हरिद्वार एवं गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के साथ भूमि

विवाद होने के फलस्वरूप उक्त भूमि पर परीक्षा भवन नहीं बनाया जा सका। फिर शासन द्वारा जो भूमि आयोग को उपलब्ध कराई गयी उस पर (भूतल+4) बनाने हेतु आयोग द्वारा निर्णय लिया गया। संशोधित आगणन में दरें डी.एस.आर. (दिनाँक 17-4-2012 से लागू) से ली गयी थी।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि शासनादेश संख्या 163 दिनांक 22 मई 2008 के अनुसार निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ही एम.ओ.यू./अनुबंध किया जाना चाहिए, संबन्धित शासनादेश संख्या 08 दिनाँक 11 फरवरी 2010 का है, जो कि बाद के निर्माण कार्यों हेतु लागू किया जाता है जबकि लो.नि.वि. को कार्य मार्च 2009 में आवंटित कर दिया गया था, एवं शासन द्वारा जून 2009 में ही आयोग को 1.188 हेक्टेयर भूमि गुरुकुल काँगड़ी परिसर हरिद्वार निशुल्क उपलब्ध कराई गयी थी, जिसकी सूचना आयोग द्वारा लोक निर्माण विभाग को दे दी गयी थी (जुलाई, 2009)। उक्त भूमि नायब तहसीलदार, ज्वालापुर (हरिद्वार) द्वारा आयोग को दिनाँक 27-8-2008 को उपलब्ध करा दी गयी थी। जबकि मूल आगणन शासन द्वारा मार्च 2009 में स्वीकृत किया गया तथा मार्च 2009 में ही कार्यदायी संस्था लो.नि.वि. को कार्य आवंटित किया गया। साथ ही संशोधित आगणन पर शासन से स्वीकृति दिसंबर 2011 में प्राप्त हो गयी थी, तो संशोधित आगणन में डी.एस.आर. दिनाँक 17-4-2012 से लागू दरें शामिल करने का कोई औचित्य तर्कसंगत नहीं है।

अतः आयोग द्वारा कार्यदायी संस्था को बदलने (जी.एम.वी.एन. से लो.नि.वि) कार्यदायी संस्था से एम.ओ.यू. गठित न करने के कारण एवं उत्तराखंड शासन के कार्मिक विभाग द्वारा लो.नि.वि. के सुझाव को अमल करने के कारण तथा संशोधित आगणन में आधारहीन दरें लगाने के कारण परीक्षा-भवन के निर्माण कार्य में अनावश्यक लागत वृद्धि ₹11.02 करोड़ हुई।

अनावश्यक लागत वृद्धि ₹ 11.02 करोड़ का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II'ब'

प्रस्तर-1 : ₹227.94 लाख का लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया जाना

गुप्त व्यय से संबन्धित मामलों में वित्तीय हस्तपुस्तिका लेखानियम खंड 5 भाग 1 के पैरा 206 के अनुसार स्तम्भ 1 के मामलों में दिये गए अनुप्रमाणित अधिकारी प्रत्येक वर्ष में एक बार स्तम्भ 2 में दिये गए अधिकारी द्वारा नियत व्यय की लेखापरीक्षा की जाए तथा निम्न वर्ष जिससे वह संबन्धित है 31 दिसंबर से पूर्व विहित प्रारूप में महालेखाकार को एक प्रमाण पत्र अग्रेषित किया जाए।

कार्यालय के अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि 2015-16 से 2017-18 तक गुप्त सेवा मद में निम्नवत व्यय किया गया :

वर्ष	**व्यय धनराशि (₹ लाख)**
2015-16	69.26
2016-17	106.91
2017-18	51.77
योग	**227.94**

उपरोक्त धनराशि के गुप्त सेवा मद में व्यय के सापेक्ष लेखापरीक्षा का प्रमाण पत्र महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा ईकाई का ध्यान इस ओर आकृष्ट किए जाने पर उत्तर दिया गया कि कार्यालय के गुप्त सेवा मद व्यय की लेखापरीक्षा करा कर प्रमाण पत्र यथाशीघ्र महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किया जा सकता था किन्तु लेखा नियम खंड-5 भाग-1 के पैराग्राफ 206 में लोक सेवा आयोग के गुप्त सेवा मद का किस अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाना है, उल्लिखित नहीं किया गया है। पैराग्राफ 206 के अनुसार पुलिस, जिला मजिस्ट्रेट, खंडों के आयुक्त, आयुक्त एवं सचिव, निदेशक सूचना एवं सचिव मुख्यमंत्री द्वारा किए जाने वाले गुप्त व्यय मद का ही उल्लेख है। लोक सेवा आयोग में गुप्त व्यय मद का भुगतान उक्त विभागों में किए जाने वाले व्यय से पृथक है। लोक सेवा आयोग द्वारा गुप्त व्यय मद में परीक्षा हेतु छपवाये जाने वाले प्रश्नपत्र आदि हेतु मुख्य रूप से किया जाता है, तथा प्रश्नपत्र बनवाए जाने हेतु विशेषज्ञों (विषय विशेषज्ञों) को किया जाता है। उक्त कार्य अति गोपनीय प्रकृति के होते हैं।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमानुसार गुप्त व्यय मद में प्राप्त धनराशि का वार्षिक रूप से लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र महालेखाकार को प्रेषित किया जाना चाहिए था।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-2 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-2 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
31/2015-16	-	1	-
16/2016-17	-	1	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
31/2015-16	भाग 2 ब -1-	प्राप्त		
16/2016-17	भाग 2 ब-1	प्राप्त		

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्यः-शून्य

भाग-V

आभार

1- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय, सचिव, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि लेखापरीक्षा **में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- शून्य**

2- सतत् अनियमितायेः-

3- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि	
			कब से	कब तक
1	श्री सुरेन्द्र नारायण पांडे	सचिव	25/11/2013	07/11/2016
2.	श्री गिरधारी सिंह रावत	सचिव	08/11/2016	18/12/2016
3.	श्री राम बिलास यादव	सचिव	19/12/2016	20/06/2017
4.	श्री बंशीधर तिवारी	सचिव	20/06/2017	16/08/2017
5.	श्री आनंद स्वरूप	सचिव	16/08/2017	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय, सचिव, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/सामान्य क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाय।

लेखापरीक्षा अधिकारी
सामान्य क्षेत्र